उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 42/2026–27 दिनांक : 10.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रामेश्वरी मिश्रा वास्ते श्री मुकेश मंजुल मिश्रा, परिवादी
वैशाली कालोनी, नहर पार, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रामेश्वरी मिश्रा की ओर से श्री मुकेश मंजुल मिश्रा का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KR11092151 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल कुछ माह से अत्याधिक धनराशि का आया है। माह मई में विद्युत विभाग द्वारा उनको रू0 5184.00 का बिल भेजा गया है, जिसमें टीसीएस एवं बकाया राशि भी शामिल की गई है जबकि उनके द्वारा प्रत्येक माह अपने विद्युत बिलों का नियमित भुगतान किया जा रहा है। उनके परिसर में कोई भारी विद्युत उपकरण भी नहीं लगे है, परन्तु इसके बावजूद बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 10.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.06.2026 व 10.07.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3175 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत संयोजन संख्या–371KR11092151 पर

क्रमशः 2....

दिनांक 07.04.2026 को माह 03 / 2026 का विद्युत बिल जमा कराया गया है, जिसके उपरांत परिवादिनी को माह 04 / 2026 व 05 / 2026 में क्रमशः रू0 1945.00 व रू0 3239.00 के विद्युत बिल निर्गत किए गये हैं। परिवादिनी के विद्युत बिल स्मार्ट मापक में अंकित रीडिंग के अनुसार ही निर्गत हो रहे हैं। परिवादिनी द्वारा माह 04 / 2026 की देय राशि रू0 1945.00 जमा नहीं की गई थी, जोकि माह 05 / 2025 के बिल में जुड़कर रू0 5184.00 हो गई है। साथ ही परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2026 को धनराशि रू0 5184.00 जमा कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को माह 04 / 2026 में रू0 1945.00 एवं माह 05 / 2026 में रू0 3239.00 के बिल प्रेषित किए गए थे, जोकि मीटर में अंकित वास्तविक रीडिंग के अनुसार हैं। परिवादिनी द्वारा माह 04 / 2026 का बिल का भुगतान नियत समय पर नहीं करने की वजह से उक्त बिल की धनराशि नियमानुसार माह 05 / 2026 के बिल में जोड़ दी गई, जिसके उपरांत परिवादिनी के बिल में कुल देय धनराशि 5184.00 हो गई। चूंकि परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2026 को अपने उक्त बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। अतः वर्तमान में परिवादिनी की इस शिकायत का कोई औचित्य नहीं बनता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 27 / 2026–27 दिनांक : 10.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कलावती, परिवादी
उत्तरांचल कालोनी, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कलावती का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1G421368695 (03 किलोवाट घरेलू) पर सोलर सिस्टम लगवाया गया है, जिसका सोलर मीटर विभाग में दिनांक 07.04.2026 को जमा किया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा मीटर स्थापित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में दिनांक 06.05.2026 को लिखित पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया है कि उनके सोलर सिस्टम पर मीटर स्थापित किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विद्युत मीटर इंस्टॉलेशन न होने के कारण 15 से 18 यूनिट प्रतिदिन उत्पादन का नुकसान हो रहा है। दिनांक 23.04.2026 से दिनांक 08.05.2026 तक 15 दिनों में लगभग कुल 225 से 270 यूनिट विद्युत का नुकसान हो चुका है, जिसका भुगतान ग्रिड की मंहगी बिजली लेकर करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय टोल–फ्री नं0 1912 पर भी सम्पर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा सोलर सम्बन्धी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर सोलर मीटर इंस्टालेशन कराने एवं मीटर इंस्टालेशन देरी के एवज में मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 08.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 16.05.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

20.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 20.05.2026 व 11.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–529 दिनांक 15.05.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 06.04.2026 को सोलर विद्युत संयोजन पर मापक लगाने हेतु आवेदन किया गया। जिसके उपरांत खण्ड कार्यालय द्वारा उक्त परिवादिनी का मापक परीक्षण हेतु दिनांक 07.04.2026 को शुल्क जमा किया एवं रसीद निर्गत की गई। खण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 08.04.2026 को मापक परीक्षण हेतु विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 07.05.2026 को मापक हस्तगत कराया गया। जिसके उपरांत परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 08.05.2026 को सोलर मापक स्थापित करवाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कथित पत्राचार की प्रति, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की वर्तमान शिकायत उनके संयोजन पर स्थापित सोलर पावर प्लांट में मीटर स्थापित करने में हुई देरी के संबन्ध में है। इस शिकायत पर सुनवाई करने अथवा कोई निर्णय पारित करने से पूर्व यह मंच सोलर पावर प्लांट से संबन्धित प्रकरणों में अपने क्षेत्राधिकार की समीक्षा करना उचित समझता है। परिवादिनी के प्रश्नगत सोलर पावर प्लांट के संबन्ध में दिनांक 04.04.2026 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं श्रीमति कलावती देवी (परिवादिनी) के मध्य पॉवर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पावर परचेज एग्रीमेंट के बिन्दु–12 में दोनों पक्षों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण हेतु निम्नवत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है...

"....12. Dispute and Arbitration:-

If any dispute arises regarding billing or payment of Net energy, or difference between the parties concerning performance of this agreement and/or the rights and liabilities of the parties in respect of which a procedure for the resolution is not otherwise provided for in this agreement, <u>the authorized representative of the Grid Interactive Rooftop and small Solar PV plant and Chief Engineer (Commercial), UPCL shall mutually decide the remedy and that shall be the part of this agreement. The final decision of Chief Engineer (Commercial) shall prevail.</u>

<u>If the said dispute/dissatisfaction remains unresolved, after 30 working days either party can file a petition before UERC, whose decision will be final and binding on both the parties.</u> UERC shall be empowered to determine the exact nature and modalities of the procedure to be adopted in resolving the matter."

चूंकि उक्त पावर परचेज एग्रीमेंट उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन एवं परिवादिनी, दोनों पक्षों की सहमति से हस्ताक्षरित किया गया है तथा इस पावर परचेज एग्रीमेंट के बिन्दु–12 में

क्रमशः 3....

उल्लिखित उपरोक्त प्रावधान के अनुसार परिवादिनी की वर्तमान शिकायत पर सुनवाई करना अथवा उसमें निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादिनी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार समक्ष प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 261 / 2025–26 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 ताजपुरिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
धनकुआ रोड ग्राम मझौला, खटीमा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 ताजपुरिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड की और से श्री नितिन गोयल का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH0K000913071 (400 केवीए औद्योगिक) का विद्युत बिल 02 लाख से 2.5 लाख तक का आता है, मेरा प्लांट बंद है, लेकिन विभाग द्वारा 07 लाख का बिल प्रेषित किया गया है, जोकि गलत है। विभाग द्वारा 02 बार मीटर भी चेंज किया गया है, लेकिन सीलिंग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने औद्योगिक परिसर के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 16.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.03.2026, 24.03.2026, 08.04.2026, 22.04.2026, 06.05.2026, 19.05.2026, 22.05.2026, 10.06.2026, 29.06.2026, 30.06.2026 एवं

क्रमशः 2....

09.07.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये। इस दौरान विपक्षी विभाग द्वारा कई बार अतिरिक्त समय मांगने के बावजूद अधूरा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2026 को प्रश्नगत अवधि की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–707 दिनांक 21.04.2026 एवं पत्र संखया–1095 दिनांक 27.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह ज्ञात होता है कि परिवादी का मापक केवल एक बार ही बदला गया है एवं उसका बिल मापक में पाई गई रीडिंग के अनुसार ही बना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं माह 01/2025 व 02/2025 एमआरआई रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2025 को परिवादी का पुराना मापक बदलकर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया तथा पुराने मापक में 13360 केडब्ल्यूएच व 13613 केवीएएच अंतिम रीडिंग पाई गई इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी का यह कथन कि उसका मीटर दो बार बदला गया, गलत एवं निराधार है। परिवादी का कथन है कि माह जनवरी व फरवरी 2026 में उनका प्लांट बंद रहा, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट से स्पष्ट है कि माह 01/2026 में परिवादी की विद्युत खपत 23509.8 केवीएएच व 21446.4 केडब्ल्यूएच एवं 02/2026 में 21355.80 केवीएएच व 20602.80 केडब्ल्यूएच दर्ज की गई। अतः परिवादी का यह कथन कि, माह जनवरी व फरवरी में उनका प्लांट बंद रहा, गलत एवं निराधार है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के बिल निर्गत किए जा रहे हैं तथा परिवादी द्वारा अपने संयोजन पर स्थापित मीटर की Accuracy पर भी कोई आपत्ति/विवाद नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस मंच का यह मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर स्थापित अविवादित मीटर में अंकित खपत (रीडिंग) के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 30 / 2026–27 दिनांक : 10.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री संजय रोहिला पुत्र श्री बलवीर सिंह, परिवादी
07, माधव विहार, जसपुर खुर्द, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री संजय रोहिला पुत्र श्री बलवीर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–377KRD2099310 (06 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर सही रीडिंग नहीं दे रहा है। अतः मीटर की जांच कराकर नया विद्युत मीटर बदलवाने की कृपा करें। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर नया विद्युत मीटर लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 18.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.05.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.06.2026, 30.06.2026 व 10.07.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3174 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या–377KRD2099310 पर दिनांक 29.06.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के

क्रमशः 2....

साथ साक्ष्य स्वरूप नये विद्युत मापक से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा अपने प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर विगत कुछ माह से प्रतिमाह लगभग 120 से 270 यूनिट की विद्युत खपत की जा रही है, परन्तु माह 06 / 2026 में परिवादी के विद्युत मापक में 377 यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई, जोकि परिवादी की पिछले महीनों की औसत मासिक खपत से अत्यधिक है। परिवादी द्वारा उक्त संबन्ध में शिकायत दर्ज कराने के उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2026 को उनका पुराना मापक बदलकर नया स्मार्ट मापक स्थापित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि परिवादी का पुराना मापक त्रुटिपूर्ण था एवं उक्त मापक में माह 06 / 2026 में गलत रीडिंग अंकित की गई। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस मंच का मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा माह 06 / 2026 में पुराने त्रुटिपूर्ण मापक में अंकित रीडिंग के आधार पर परिवादी को प्रेषित बिल त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त करने योग्य है। इस मंच का यह भी मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का प्रश्नगत माह 06 / 2026 का बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा माह 06 / 2026 में परिवादी को त्रुटिपूर्ण मीटर की रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल निरस्त किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह माह 06 / 2026 का बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित कर उसे तत्काल परिवादी को प्रेषित करें। विपक्षी विभाग 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 278/2025–26 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विपुल मण्डल पुत्र श्री हर्षित मण्डल, परिवादी
ग्राम संजयनगर, महतोष मोड़, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री विपुल मण्डल पुत्र श्री हर्षित मण्डल का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6C312221502 (05 किलोवाट घरेलू) का पिछला बिल रू0 9790.00 का आया था, लेकिन माह जनवरी 2026 में रू0 83638.00 का जारी किया गया है जोकि गलत है। विभाग द्वारा अचानक इतना अधिक बिल प्रेषित किया गया है, जो बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026, 09.04.2026, 22.04.2026, 05.05.2026, 21.05.2026, 11.06.2026 व 29.06.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4929 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त संयोजन पर जारी विद्युत बिल में संशोधन करने पर धनराशि रू0 16737.00 का समायोजन देते हुए रू0 49155.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–278 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 286/2025–26 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री देश राज पुत्र श्री वजीर चन्द, परिवादी
मधपुरी चक्कीमोड़, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री देश राज पुत्र श्री वजीर चन्द का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2D308114949 (01 किलोवाट व्यवसायिक) का कुछ महीनों से आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किया जा रहा है। जबकि उनकी दुकान बन्द होने से पूर्व अनुमान के आधार पर रीडिंग भरकर बिल जारी किया गया है, जबकि उनके मीटर की रीडिंग 4296 है। उनकी दुकान लगभग 02 सालों से बन्द है फिर भी बिल अधिक जारी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर/दुकान पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 16.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026, 09.04.2026, 22.04.2026, 05.05.2026, 21.05.2026, 11.06.2026 व 29.05.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4928 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल में संशोधन करने पर धनराशि रू0 4422.00 का समायोजन देते हुएरू0 812.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना

क्रमशः 2....

एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 07/2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विचित्रवीर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, परिवादी
गांव क्लब, कुण्डेश्वरी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री विचित्रवीर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.04.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–376KK16138509 (05 किलोवाट व्यवसायिक) जो उनके गांव क्लब, कुण्डेश्वरी, काशीपुर परिसर में स्थापित है, जिसकी लगातार वोल्टेज उतार–चढ़ाव की समस्या बनी रहती है। इस सम्बन्ध में हर साल विभागीय कार्यालय को शिकायत की जाती है, लेकिन विभागीय कार्यालय द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त समस्या के समाधान हेतु नए उपयुक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने और केबिलों को अच्छी तरह सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके उपरांत उक्त समस्या का ठोस समाधान हो सकता है। बार–बार वोल्टेज उतार–चढ़ाव के कारण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होने का खतरा बना रहता है। विभाग द्वारा मजबूत और विश्वसनीय बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने के बजाय, समस्या की जड़ को हल किए बिना, अस्थायी समाधान और बहानेबाजी की जाती रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की वोल्टेज सम्बंधी समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 17.04.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.04.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.05.2026, 22.05.2026, 12.06.2026 व 30.06.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3176 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि मंच द्वारा दिनांक 22.05.2026 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवर अभियन्ता, 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कुण्डेश्वरी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी के पड़ोस में स्थापित मापकों पर दिनांक 29.06.2026 को वोल्टेज 232.09 वोल्ट एवं 218.18 वोल्ट दर्ज किया गया। साथ ही परिवादी को आपूर्ति कर रहे वितरण परिवर्तक की न्यूट्रल टर्मिनल का संयोजन भी सही पाया गया है। साथ ही, खण्ड कार्यालय के पत्रांक 2423 दिनांक 06.05.2026 के माध्यम से परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक वोल्टेज विवरण का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि परिवादी के तीनों फेजों में बैलेंस वोल्टेज प्रदर्शित हो रही है। अतः इस पत्र के साथ अवर अभियन्ता की आख्या एवं परिवादी के पड़ोसी उपभोक्ताओं के विद्युत मापक में प्रदर्शित वोल्टेज की प्रति संलग्न की गई हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता की आख्या एवं परिवादी के पड़ोसी उपभोक्ताओं के विद्युत मापक में प्रदर्शित वोल्टेज की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत वोल्टेज में उतार–चढ़ाव होने के संबन्ध में है। इस मंच के निर्देश पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी एवं उसके आसपास के विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों पर वोल्टेज की स्थिति की तकनीकी जांच की गई, जिसमें परिवादी एवं अन्य निकटवर्ती उपभोक्ताओं के संयोजनों में तीनों फेज में वोल्टेज बैंलेस पाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध लोड–सर्वे रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करती है। अतः परिवादी का यह कथन कि, उनके क्षेत्र में विद्युत लाईन में वोल्टेज में उतार–चढाव होता है, गलत एवं निराधार हैं। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के मीटर संख्या–8902876 की लोड–सर्वे रिपोर्ट में तीनों फेज में वोल्टेज बैलेंस आ रही है, परन्तु उक्त लोड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के मीटर में आर–फेज में करंट लगातार शून्य दर्ज हो रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन के आर–फेज से विद्युत का उपभोग नहीं किया जा रहा है अथवा आर–फेज से घर का कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। चूंकि यह त्रुटि उपभोक्ता के पक्ष / क्षेत्राधिकार से संबन्धित है। अतः इसके निस्तारण हेतु परिवादी अपने स्तर पर जांच करवाने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र बयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 09/2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री शिव कुमार, परिवादी
वार्ड नं0 20, निकट ईस्टर फैक्ट्री मुण्डैली, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री शिव कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.04.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1K350227303 (01 किलोवाट घरेलू), जोकि पूर्व में श्रीमती किरन देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार के नाम पंजीकृत था, के पूर्ण विद्युत बिलों का भुगतान कर संयोजन उनके (श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री शिव कुमार) नाम स्थानांतरित करा दिया गया था। संयोजन स्थानांतरित होने के बाद प्रेषित पहले बिल में 2751 यूनिट की खपत दर्शाई गई, जोकि उनके द्वारा नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क कर बिल सही करने का अनुरोध किया गया, तो श्री भूवन चन्द्र शर्मा द्वारा मैनुअली बिल सही करने का आश्वासन देते हुए रू0 2714.00 जमा कराने को कहा गया। उनके द्वारा रू0 2714.00 जमा का दिए गये, परन्तु बिल सही नहीं हुआ। दिनांक 29.12.2025 को पुनः विभागीय कार्यालय में लिखित शिकायत की गयी तो, उनको बताया गया कि बिल सही नहीं होगा और पूरा बिल जमा करना पड़ेगा। इसके उपरांत दिनांक 09.03.2026 को आरटीआई के माध्यम से उक्त शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई, जो आज तक नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन स्थानांतरित होने के उपरांत जारी गलत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 20.04.2026 द्वारा नोटिस

क्रमशः 2....

जारी कर दिनांक 28.04.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.05.2026, 20.05.2026, 10.06.2026 व 29.06.2026 को परिवादिनी के पति श्री शिव कुमार के तथा विपक्षी की ओर से श्री आलोक सचान, उपखण्ड अधिकारी, खटीमा एवं श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये। इस दौरान विपक्षी विभाग द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु कई बार अतिरिक्त समय मांगा गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–927 दिनांक 08.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि माह मई, जून व जुलाई 2025 में परिवादिनी का परिसर लगातार बंद होने के कारण मीटर रीडर द्वारा (मकान बन्द) में शून्य यूनिट के बिल निर्गत किये गये। माह अगस्त 2025 में परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक 14366 केडब्लूएच के आधार पर सीडीएफ में बिल निर्गत किया गया, जिसमें परिवादिनी का बिल (14366–11615=2751 यूनिट) का बनना था, परन्तु परिवादिनी का संयोजन 01 किलोवाट भार का होने के कारण 867 यूनिट का बिल सीडीएफ में निर्गत हो पाया था। शेष यूनिट आगामी माह में समायोजित हो गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री शिवकुमार द्वारा प्रश्नगत परिसर पूर्व स्वामी श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार से क्रय किया गया था, जिसके उपरांत परिवादिनी द्वारा उक्त परिसर में श्रीमती किरण देवी के नाम पर निर्गत विद्युत संयोजन को अपने नाम स्थानांतरित करने हेतु दिनांक 26.07.2025 को विद्युत विभाग में आवेदन किया गया। परिवादिनी के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2025 को श्रीमती किरण देवी के नाम पर चले आ रहे उक्त संयोजन को परिवादिनी श्रीमती शकुंतला देवी के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। परिवादिनी का कथन है कि विद्युत विभाग द्वारा संयोजन के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम पूर्व बिलों का पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाता है तथा उनके प्रकरण में भी पूर्व बिलों का पूर्ण भुगतान होने के उपरांत ही विभाग द्वारा संयोजन उनके नाम स्थानांतरित किया गया, परन्तु इसके बाद विभाग द्वारा उनको 2751 यूनिट का पहला बिल प्रेषित किया गया, जो बिजली की खपत उनके द्वारा नहीं की गई थी। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब दावे में अवगत कराया है कि परिसर बंद होने के कारण माह मई, जून एवं जुलाई 2025 में शून्य खपत के बिल प्रेषित किए गए थे। माह अगस्त 2025 में मीटर के पाठयांक के अनुसार 2751 यूनिट का बिल बनना था, लेकिन 01 किलोवाट का संयोजन होने के कारण 867 यूनिट का ही बिल सीडीएफ में निर्गत हो पाया तथा शेष यूनिट अगले बिल में समायोजित की गई। यहां पर माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम–4.3.1(1) का उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि निम्नवत है.....

"The applicant shall apply for change of consumer's name in the format specified at ***Annexure-VII*** *of these Regulations along with copy of latest bill duly paid. The application shall be*

क्रमशः 3....

परिवाद संख्या–09 / 2026–27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

accepted on showing proof of lawful ownership / occupancy of property. NOC from previous occupant of the premises / certificate of merger / demerger from appropriate authority in case of firms/companies shall be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant. The change of consumer's name shall be effected within two months after acceptance of application. Subsequent to this, the Licensee shall inform the applicant regarding the change in name through email/mobile or any other electronic medium. <u>Any old dues on the property shall be payable by new consumer subject to the provisions of of Section 56(2) of the Act</u>."

उपरोक्त विनियम से यह स्पष्ट है कि संयोजन के नाम स्थानांतरित होने के उपरांत यदि प्रश्नगत परिसर पर कोई पुराना बकाया निकलता है तो उसकी देयता नए उपभोक्ता पर बनेगी, जिसके नाम पर संयोजन स्थानांतरित हुआ है। चूंकि वर्तमान प्रकरण में भी नाम स्थानांतरित होने से पूर्व के तीन महीनों मई, जून एवं जुलाई की अवशेष रीडिंग / खपत का बकाया बिल विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को प्रेषित किया गया है तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार उक्त बिल पर परिवादिनी की देयता बनती हैं। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 22/2026–27 — दिनांक : 22.07.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शशिकांत विश्वकर्मा पुत्र श्री राजाराम विश्वकर्मा, — परिवादी
प्रकाश सिटी के पीछे, खड़कपुर, देवीपुरा, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री शशिकांत विश्वकर्मा पुत्र श्री राजाराम विश्वकर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KR11138579 (02 किलोवाट घरेलू) का माह दिसम्बर 2025 का बिल रू0 8667.00 का बनाया गया था, लेकिन अचानक जनवरी 2026 में विभाग द्वारा रू0 21620.00 का बिल भेज दिया, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 04.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 16.05.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.05.2026, 12.06.2026 व 30.06.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3173 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर नया मापक दिनांक 11.01.2026 को स्थापित किया गया है। मापक बदलते समय पुराने मापक की रीडिंग 17880 अंकित थी, जिस वजह से परिवादी का माह 01/2026 के बिल में पुराने मापक की उपभोग यूनिट 2579 दर्ज हुई। परिवादी के माह जून 2026 के बिल (रू0 32882.00) में रू0 7396.38 का समायोजन देते हुए रू0 25485.62 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप

क्रमशः 2....

संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 25 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पुष्पा भट्ट पत्नी श्री रामदत्त भट्ट, परिवादी
ग्राम बिगराबाग, नियर पानी की टंकी, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पुष्पा भट्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 05.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1K508793639 (01 किलोवाट घरेलू) पर भारत सरकार की 'सूर्य घर योजना' के अंतर्गत अपने उक्त परिसर पर सोलर प्लांट स्थापित करवाया गया था। इसका कार्य वेंडर सोलर पॉवर टेक (जीएसटी–05BUPPS8194H1ZT) स्वामी श्री अमनदीप सिंह द्वारा कराया गया था। उक्त परिसर पर नेट मीटर का निरीक्षण और इंस्टालेशन (Joint Inspection) दिनांक 19.03.2025 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया था। यह अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग की *Discom Login ID* में तकनीकी खराबी के कारण उक्त इंस्टालेशन की तिथि गलत तरीके से 23.06.2025 दर्ज कर दी गई है। इस विभागीय तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें केन्द्र सरकार की सब्सिडी तो प्राप्त हो गई है, परन्तु राज्य सरकार (UREDA) की सब्सिडी पिछले एक साल से रूकी हुई है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को (पत्रांक 180 / वि0वि0उ0ख0 / ख0) एक पत्र UREDA विभाग को स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया था, जिसमें विभाग ने स्वयं अपनी तकनीकी गलती स्वीकार की है। बार–बार विभाग के चक्कर काटने, सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत करने और उच्च अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद भी आज दिनांक तक पोर्टल पर तिथि में सुधार नहीं किया गया है, जो कि 'सेवा में कमी' (Deficiency in Service) और मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त सोलर प्लांट इंस्टालेशन की तिथि को विभागीय पोर्टल पर सही कराते हुए जल्द से जल्द सब्सिडी दिलाने की प्रार्थना की है। अन्यथा उन्हें सिविल कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 05.05.2026 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 16.05.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 20.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 20.05.2026, 10.06.2026 व 29.06.2026 को परिवादिनी के पति श्री रामदत्त भट्ट के तथा विपक्षी की ओर से श्री आलोक सचान, उपखण्ड अधिकारी एवं श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–926 दिनांक 08.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर माह 22 मार्च 2025 को सोलर रूफटॉप पर नेट मापक स्थापित कर दिया गया था, परन्तु Discomme Log in id में Technical Issue होने के कारण Net Meter & Inspection दिनांक 23.06.2025 को Approve हो पाये थे। परिवादिनी को सोलर सब्सिडी दिलाने हेतु उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक–180 दिनांक 28.02.2026 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–1, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन कांवली रोड, देहरादून एवं पत्रांक–315 दिनांक 29.04.2026 द्वारा परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) को डाक एवं मेल exensolarupcl@gmail.com के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ पत्राचार कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपरोक्त कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 33/2026-27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रियाजुल अली पुत्र श्री जाकिर अली वास्ते श्री रियाज मलिक, परिवादी
दक्ष रोड फुलसुंगा, नियर विमल होम, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-1

निर्णय

परिवादी श्री रियाजुल अली पुत्र श्री जाकिर अली की ओर से श्री रियाज मलिक का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-892A212579944 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल हर माह अधिक/गलत आ रहा है। वह अपने विद्युत बिल की पुष्टि मीटर की जांच कराकर करना चाहते है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच, चैक मीटर से कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 26.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2026 व 29.06.2026 को परिवादी की ओर से श्री रियाज मलिक के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-4425 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 03.06.2026 को चैक मापक संख्या-जीयू191430 स्थापित किया गया। दिनांक 18.06.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मापक संख्या-जीयू179977 सही (*Under permissible Limit*) पाया गया है। परिवादी पर माह 05/2026 में निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष रू0 5283.00 भुगतान लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ

क्रमशः 2....

साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किए गए हैं। परिवादी के आवेदन पर परिवादी के मीटर की जांच हेतु दिनांक 03.06.2026 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 18.06.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया। उपरोक्त परीक्षण में परिवादी का मापक सही चलता पाया गया है। चूंकि जांच में सही सिद्ध हुए मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

<u>उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच</u>
<u>ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर</u>

उपभोक्ता परिवाद सं0: 34 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजकुमार नागपाल पुत्र श्री बगराम, परिवादी
378, आवास विकास, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

<u>निर्णय</u>

परिवादी श्री राजकुमार नागपाल पुत्र श्री बगराम का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2C324140624 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल आईडीएफ के आधार पर रू0 60000.00 का जारी किया गया था। संयोजन काटने की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा रू0 30000.00 जमा किया गया। विभाग द्वारा पुराना मीटर हटाकर नया मीटर लगा दिया गया। उनके द्वारा रू0 30000.00 का भुगतान करने के उपरांत भी उक्त धनराशि नये बिल में जोड़ते हुएरू0 61000.00 का बिल जारी किया गया, जोकि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी आईडीएफ विद्युत बिल को पिछले औसत खपत के आधार पर सही कराते हुए उनका बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 26.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.06.2026 व 29.06.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4930 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल में संशोधन करने पर रू0 42032.00 का समायोजन देते हुए रू0 20778.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग

क्रमशः 2....

द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 36 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मंजू रानी केयर ऑफ श्री तरूण चौहान,
पृथ्वी राज चौहान चौक, मौहल्ला गुजरातियान, जसपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मंजू रानी केयर ऑफ श्री तरूण चौहान का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा उक्त परिसर पर एक घरेलू नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था, जिसका भुगतान भी विभागीय कार्यालय में कर दिया गया है। इसके बाद भी विभाग द्वारा संयोजन जारी नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर जल्द से जल्द नये विद्युत संयोजन को स्थापित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 30.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.06.2026 व 30.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री दिव्या पाण्डे, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1233 दिनांक 09.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के नये विद्युत संयोजन रजिस्ट्रेशन संख्या–451090426009 के सापेक्ष परिवादिनी द्वारा दिनांक 22.04.2026 को रू0 12400.00 जमा किया गया था। परिवादी के संयोजन हेतु विद्युत लाईन निर्माण संबन्धी कार्य प्रस्तावित था, जिसके लिए माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के गजट वर्ष 2020 की नियमावली के बिन्दु–3.3–16(a) के अनुसार विद्युत लाइर्न निर्माण, विद्युत पोल लगाने व परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित करने हेतु 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है। उपरोक्त विनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–36 / 2026–27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

परिवादी के परिसर पर दिनांक 20.06.2026 को मीटर स्थापित कर संयोजन संख्या–JS2H160815530 निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सीलिंग प्रमाण पत्र एवं सर्विस रीलिज की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 37 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमला जोशी वास्ते श्री नितेश जोशी, परिवादी
नियर डिवाइन होम्स, गायत्री विहार, जोशी किराना स्टोर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमला जोशी की ओर से श्री नितेश जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K301858016 (01 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल का भुगतान वह नियमित रूप से करते आ रहे है, लेकिन पिछले 55 दिनों से उनका विद्युत बिल सामान्य से अधिक आ रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर जारी विद्युत बिल की जांच कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 02.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4911 दिनांक 27.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत मापक में सही डिस्प्ले नहीं आने के कारण गलत बिल बन गया था, विद्युत मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर परिवादिनी के विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 903.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। साथ ही परिवादिनी के परिसर पर स्थापित दोषपूर्ण मापक दिनांक 20.06.2026 को बदल दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति

क्रमशः 2....

भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 38/2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री यशपाल तिवारी पुत्र श्री किशन लाल, परिवादी
नानक नगर बंदिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री यशपाल तिवारी पुत्र श्री किशन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1G461159039 (01 किलोवाट घरेलू) पर जारी मासिक सामान्य बिलों की तुलना में अधिक बिल आ रहा है। इस प्रकार नियमित विद्युत खपत को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बिलिंग प्रक्रिया, मीटर रीडिंग या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण इतना अधिक बिल आ रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करायी है, परन्तु अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है जिस कारण विद्युत बिल अतिरिक्त शुल्क बढ़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त समस्या का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 03.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.06.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–875 दिनांक 12.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के आरडीएफ बिलों में संशोधन करने पर रू0 13526.00 का समायोजन देते हुए रू0 12980.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति

क्रमशः 2....

भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 40 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रजनी पत्नी श्री नरेश कुमार डालमिया,
वास्ते श्री आशू डालमिया, परिवादी
काशीपुर रोड, शांति विहार कालोनी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रजनी पत्नी श्री नरेश कुमार डालमिया की ओर से श्री आशू डालमिया का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K317131255 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लगभग 02 माह अथवा 01 माह के अंतराल पर प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान में लगभग 20–25 दिन के अंतराल पर ही जारी किया जा रहा है। प्रत्येक बिल में फिक्स चार्ज (रू0 255.00) इलेक्ट्रीसिटी टैक्स (रू0 49.50) फोका चार्ज (रू0 167.75) तथा अतिरिक्त प्रतिभूति किश्त (रू0 108.00) जैसे शुल्क लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक बिल में लगभग रू0 580.00 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बिल वितरित करने वाला कर्मचारी उनके घर पर बिल देने अथवा सूचना देने के बजाय बिल को बाहर सड़क पर फेंककर चला जाता है। कई बार तो बिल जारी होने की जानकारी भी नहीं मिलती है और बाद में मोबाईल संदेश प्राप्त होने पर पता चलता है कि बिल बन चुका है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल कम अवधि में जारी किए जाने की जांच कराने, बिल वितरण लापरवाही की जांच कराने, अतिरिक्त आर्थिक भार का परीक्षण कराने एवं निर्धारित अवधि के अनुसार बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 06.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित

क्रमशः 2....

रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4912 दिनांक 27.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी की बिलिंग वर्तमान में प्रत्येक माह में की जा रही है तथा परिवादिनी के उपभोग की विद्युत मूल्य की गणना उसके दिनों के आधार पर होती है जिससे उपभोग की अवधि के अनुपात में ही परिवादिनी से विद्युत मूल्य वसूल किया जा सके। साथ ही फिक्सड चार्ज की गणना बिलिंग माह (उस माह के लिए) एक ही बार की जाती है तथा प्रत्येक माह एक ही बिल निर्गत किया जाता है। Electricity Duty व अन्य सभी प्रकार के चार्जेज मा0 नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुपालन में बिलों में लगाये जाते हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर में विद्युत दरों के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किए जा रहे हैं, जोकि सही हैं तथा उक्त बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 44 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मीरा रौतेला, परिवादी
जयनगर नं0 04, ए12, आर्शीवाद गार्डन, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मीरा रौतेला का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा एक नये घरेलू विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 03.06.2026 सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में आवेदन किया गया, परन्तु आज दिनांक तक सम्बन्धित जेई एवं लाईनमैन द्वारा कोई निरीक्षण व कार्यवाही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नये विद्युत संयोजन को जल्द से जल्द ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4422 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 27.06.2026 को नया मापक संख्या–42216046 स्थापित कर नया संयोजन निर्गत दिया गया है। वर्तमान में उक्त उक्त मापक को मैसर्स अडानी के पोर्टल से उपाकालि के बिलिंग पोर्टल आर–ए0पी0डी0आर0पी0 में अद्यतन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये संयोजन से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—44/2026—27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 46/2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कामिनी पत्नी श्री शमशाद अली, परिवादी
वार्ड नं0 04, भदईपुरा, शास्त्रीनगर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कामिनी पत्नी श्री शमशाद अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892N154168076 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की तार में अचानक आग लग जाने के कारण उक्त परिसर की विद्युत सप्लाई बन्द हो गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर उचित कार्यवाही कराते हुए मीटर से परिसर के अंतर आने वाली केबिल को ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 19.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4421 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर की विद्युत सप्लाई खराब हो गई थी, जिसे वर्तमान में सही कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादिनी का माह 05/2026 तक विद्युत बिल के सापेक्ष रू0 1816.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी की लिखित रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–46 / 2026–27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 47 / 2026–27 दिनांक : 22.07.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, परिवादी
फुलसुंगी कृष्णा विहार, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212454346 (02 किलोवाट घरेलू) पर सोलर पैनल लगा हुआ है जिस पर स्मार्ट मीटर 20 मई व रीडिंग नेटमीटर 29 मई को स्थापित किया गया था। उन्होंने अपनी 4–5 दिन की रीडिंग का अवलोकन किया और पाया कि दिन के समय घर की खपत में केवल 8 से 10 यूनिट बिजली (जो सोलर से बन रही है) खपत है। जबकि रात के समय जब घर का लोड सबसे कम होता है जिसमे साधारण पंखे ही चल रहे है, केवल रात के 6 घण्टे में ही Import रीडिंग 20 से 22 यूनिट रिकार्ड हो रही है, जो कि चिन्ता का विषय है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्मार्ट मीटर व नेट मीटर की जांच कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 20.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4423 दिनांक 29.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 20.05.2026 को पुराने मापक संख्या–यू948892 से बदलकर नया स्मार्ट मापक संख्या–42190822 स्थापित कर दिया गया है।

क्रमशः 2....

माह 05 / 2026 के विद्युत बीजक में उक्त परिवादिनी की पुराने मापक में दर्ज 611 यूनिट उपभोग लम्बित थी जो कि वर्तमान विद्युत बीजक में जुड़कर आयी है। इसीलिए बिल अधिक आया है, जिसका भुगतान भी परिवादिनी द्वारा दिनांक 17.06.2026 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को मीटर में अंकित रीडिंग के अनुसार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। दिनांक 20.05.2026 को परिवादिनी के संयोजन पर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत अगले बिल में नियमानुसार नए मापक में अंकित खपत के साथ पुराने मीटर की अवशेष खपत 611 यूनिट को जोड़ दी गई थी, जिससे उक्त बिल अधिक धनराशि का बन गया था, जोकि सही एवं नियमानुसार है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 17.06.2026 को अपने विवादित विद्युत बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। वर्तमान में अब परिवादिनी की इस शिकायत का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 239 / 2025–26 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री छमिन्दर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, **परिवादी**
बनगवा, पो0–सरपुरा, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री छमिन्दर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH9N240151149 (05 एच.पी. नलकूप) के विद्युत बिल आरडीएफ के आधार पर जारी किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आरडीएफ में बिल बनने के कारण अधिक धनराशि में जारी हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज पाठयांक के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 15.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026, 25.02.2026, 11.03.2026, 24.03.2026, 08.04.2026, 22.04.2026, 06.05.2026, 20.05.2026, 10.06.2026, 29.06.2026 व 09.07.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री आलोक सचान, उपखण्ड अधिकारी एवं श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1074 दिनांक 27.06.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर संज्ञान में आया कि परिवादी का मापक आईडीएफ हैं, परन्तु रीडिंग टीम द्वारा अथक प्रयास कर मापक की एम. आर.आई. रिपोर्ट प्राप्त कर, खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसके आधार पर परिवादी के आईडीएफ बिलों में संशोधन करने पर रू0 89027.98 का समायोजन देते हुए रू0 (–) 6351.98 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 39 / 2026–27 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अली हसन, परिवादी
ग्राम बिरिया, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री अली हसन का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH9N240001507 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। वह काफी समय से बीमार है, जिस कारण वह खेती नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से उक्त संयोजन का उपयोग नहीं हो रहा है। फिर भी विभाग द्वारा लगातार अत्यधिक रीडिंग के बिल जारी किए जा रहे हैं, जबकि उनके मीटर की वास्तविक रीडिंग 590 केडब्लूएच है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त खेत / परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 03.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 व 09.07.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—39 / 2026—27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1093 दिनांक 27.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर संज्ञान में आया कि परिवादी के मापक की रीडिंग बीजक में त्रुटिपूर्ण है, मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के माह 06 / 2026 के विद्युत बिल (रू0 49644.00) को संशोधन करने पर रू0 33095.17 मय अधिभार के समायोजित करते हुए रू0 16583.48 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 41/2026–27 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, परिवादी
ए39, रिंग रोड, आवास विकास, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–897B111116159 (05 किलोवाट घरेलू) के दिनांक 25.01.2025 को प्राप्त अंतिम बिल में मीटर रीडिंग 59089 यूनिट दर्शायी गई थी तथा कुल देय राशि रू0 8613.00 थी, लेकिन दिनांक 02.06.2026 को प्राप्त नवीनतम बिल में मीटर रीडिंग 36372 रीडिंग दर्शायी गई है जिसकी कुल देय राशि रू0 257659.00 दिखाई गई है, जो कि अत्यधिक एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। वर्तमान मीटर रीडिंग पिछली रीडिंग से कम होने के बावजूद बिल राशि इतनी अत्यधिक दर्शायी गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 08.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 व 09.07.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4657 दिनांक 08.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 21.04.2025 को पुराना मापक बदलकर नया विद्युत मापक संख्या–जी7911575 स्थापित किया गया था, जिस दौरान परिवादी के पुराने मापक में अंतिम रीडिंग 63702 मिली, जिसमें से 1729 यूनिट अवशेष बची थीं। परिवादी के नए मापक में दिनांक 15.03.2026 को 31048 यूनिट रीडिंग दर्ज पाई गईं। माह 03 / 2026 को दिनांक 15.03.2026 को नए मापक में दर्ज रीडिंग 31048 में पुराने मापक में बची अवशेष रीडिंग 1729 यूनिट को जोड़ते हुए आरडीएफ अवधि का पूर्ण बिल संशोधित कर बना दिया गया था। माह 06 / 2026 में परिवादी के मापक में दिनांक 19.06.2026 को अंकित रीडिंग 41573 के आधार पर रू0 305785.00 का बिल निर्गत किया गया, जोकि वर्तमान में भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2025 को परिवादी का पुराना मापक बदलकर नया मापक स्थापित किया गया, जिसके उपरांत माह 02 / 2026 तक परिवादी को लगातार आरडीएफ के बिल निर्गत किए गए। नया मीटर स्थापित करने के बाद लगातार 09 माह तक आरडीएफ के बिल प्रेषित किया जाना विपक्षी विभाग की घोर लापरवाही को उजागर करता है। विपक्षी विभाग द्वारा माह 03 / 2026 में अपनी इस गलती / लापरवाही को दुरूस्त करते हुए दिनांक 15.03.2026 को परिवादी के संयोजन पर स्थापित नए मीटर की रीडिंग (31048 केडब्ल्यूएच) अंकित की गई तथा मीटर बदलने की तिथि से उक्त तिथि तक की पूरी अवधि का बिल नियमानुसार संशोधित करते हुए रू0 211747.00 का बिल निर्गत किया गया। वर्तमान में परिवादी को दिनांक 19.06.2026 को मीटर में अंकित रीडिंग 41573 केडब्ल्यूएच के अनुसार रू0 305785.00 का बिल प्रेषित किया गया है, जोकि सही एवं नियमानुसार है तथा उक्त बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की बिल संशोधन संबन्धी शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2025 को परिवादी का मापक बदलने पर उससे जले मीटर की कीमत रू0 2251.00 भी वसूल की गई, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिवादी से जले हुए मीटर की कीमत किन कारणों से वसूल की गई। इस मंच का यह मत है कि बिना कारण स्पष्ट किए परिवादी से जले हुए मीटर की कीमत वसूल किया जाना गलत एवं नियमविरूद्ध है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी से वसूली गई जले मीटर की कीमत रू0 (2251.00) उसे ब्याज सहित वापस किया जाना न्यायोचित होगा।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—41 / 2026—27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी से वसूल की गई जले हुए मीटर की कीमत (रू0 2251.00) उसे ब्याज सहित तत्काल वापस करें अथवा उसके आगामी बिल में समायोजित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 45/2026–27 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शंकर लाल पुत्र श्री गोकुल राम, परिवादी
जयनगर नं0 04, ए12, आर्शीवाद गार्डन, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री शंकर लाल पुत्र श्री गोकुल राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892B164173675 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल दिनांक 22.01.2026 से दिनांक 23.02.2026 की अवधि हेतु जारी किया गया है, जो अत्यधिक राशि का बनाया गया है। उन्होंने अपने विद्युत बिल की जांच सावधानीपूर्वक की है, उन्हें वास्तविक विद्युत बिल की खपत के अनुसार यह राशि बहुत अधिक व त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026 व 09.07.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4652 दिनांक 08.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 02 / 2026 के विद्युत बीजक में संशोधन कर दिया गया है। साथ ही परिवादी के परिसर पर दिनांक 22.06.2026 को पुराने मापक सं0–40115380 को बदलकर नया स्मार्ट मापक संख्या–42220775 स्थापित कर दिया गया है। परिवादी के विद्युत बीजक में रू0 7126.00 का समायोजन देने के उपरांत माह 06 / 2026 (दिनांक 15.06.2026) का संशोधित बिल रू0 7495.00 बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मवाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 48 / 2026–27 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 एस0वी0 प्लास्टिक एण्ड मेटल्स प्रा0 लि0, परिवादी
वास्ते श्री सुभाष सलादी, (लेखा विभाग),
सेक्टर नं0 09, सिडकुल, पंतनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 एस0वी0 प्लास्टिक एण्ड मेटल्स प्रा0 लि0 की ओर से श्री सुभाष सलादी, (लेखा विभाग) का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000225066 (250 केवीए औद्योगिक) का विद्युत बिल लगभग 3–4 लाख का आता है। विभाग द्वारा रू0 14,18,953.00 का बिल जारी किया गया है जिसमें बकाया रू0 8,04,682.00 तथा चालू माह बिल रू0 5,99,084.00 जोड़ा गया है। उनके द्वारा समय–समय पर विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बकाया राशि की कोई जानकारी नहीं है। अचानक इतनी बड़ी बकाया राशि बिल में जुड़कर आने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर,

क्रमशः 2....

...ण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4659 दिनांक 08.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के कार्यालय पत्र सं0 257 दिनांक 05.05.2026 को इस खण्ड कार्यालय में *"Regarding Assessment to be rsised in case of MRI Abnormality due to Meter was showing Zero current in Y Phase, Meter was recording 32.9% less consumption"* का प्रकरण उक्त परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या–890K000225066 पर राजस्व निर्धारण करने हेतु प्रेषित किया गया। सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के कार्यालय पत्र सं0 257 दिनांक 05.05.2026 के आधार पर दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 17.04.2026 तक की अवधि का राजस्व निर्धारण धनराशि रू0 804682.00 किया गया, जिसकी सूचना परिवादी को पत्र संख्या–3667 दिनांक 02.06.2026 के माध्यम से दी गई। उक्त परिवादी द्वारा उक्त राजस्व निर्धारण धनराशि रू0 804682.00 को खण्ड कार्यालय के खाते में NEFT के माध्यम से दिनांक 30.06.2026 को भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त परिवादी पर माह 05 / 2026 एवं माह 06 / 2026 का विद्युत बीजक भुगतान हेतु लम्बित है, बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के उपरांत रसीद निर्गत कर बिलिंग प्रणाली में अद्यतन कर दी जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मीटर रिपोर्ट, *Assessment Copy,* कंज्यूमर लेजर एवं वर्णित पत्राचार की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई विश्लेषण में विपक्षी विभाग ने पाया कि उक्त मीटर में वाई–फेज करंट मिसिंग हैं। इसके तकनीकी परीक्षण के लिए विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन (250 केवीए) पर स्थापित मीटर के सापेक्ष दिनांक 27.03.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या–00724 के द्वारा चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 17.04.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या–00729 चैक मापक फाइनल किया गया। उक्त दोनों सीलिंग प्रमाण पत्र पर परिवादी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी प्रतिष्ठान का मीटर 32.9 प्रतिशत धीमा चलता पाया गया। सी0टी0पी0टी0 चैम्बर खोलने पर वाई–फेज की सी0टी0 खराब पाई गई, जिस पर विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण सी0टी0 को नई सी0टी0 से बदल दिया गया। विपक्षी विभाग की तकनीकी जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि वाई–फेज में यह तकनीकी त्रुटि सर्वप्रथम दिनांक 27.10.2025 को प्रारम्भ हुई, जोकि चैक मापक फाइनल करने की तिथि 17.04.2026 को ठीक हुई। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम–5.1.3(10)(b) में मीटर धीमा पाए जाने पर राजस्व निर्धारण का प्रावधान किया गया है, जोकि निम्नवत है....

(10) "When the meter is found to be:

(b) slow beyond permissible limits, as specified by Bureau of Indian Standards (BIS), and the consumer does not dispute the accuracy of the test, the Licensee shall replace / rectify the defective meter within 15 days of testing. The consumer shall pay the difference due to the defect in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of not more than 12 months or less depending on period of installation of meter or previous testing date prior to date of test and up to the date on which defective meter is replaced / rectified."

क्रमशः 3....

उपरोक्त विनियम से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा स्लो मीटर की एवज में परिवादी प्रतिष्ठान के विरूद्ध किया गया रू0 804682.00 का राजस्व निर्धारण सही एवं नियमानुसार है, जिसकी देयता परिवादी प्रतिष्ठान पर बनती है। परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 30.06.2026 को उक्त राजस्व निर्धारण का भुगतान भी कर दिया गया है। अतः परिवादी प्रतिष्ठान की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 58/2026–27 दिनांक : 23.07.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री दामोदर भट्ट, परिवादी
49, वनखण्डी, अंथ कालोनी, फुलसुंगी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री दामोदर भट्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892GAN1199084 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह 01/2026 में जारी किया गया था, इसके उपरांत उनके परिसर पर स्मार्ट मापक स्थापित किया गया। स्मार्ट मापक स्थापित होने से अब तक कोई बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मापक रीडिंग के आधार पर बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4655 दिनांक 08.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थित विद्युत मापक संख्या–42071630 को बिलिंग प्रणाली में आ रही टेकनिकल समस्या का निस्तारण करते हुए उक्त मापक को बिलिंग प्रणाली में अद्यतन कर दिया गया है। साथ ही परिवादिनी का माह 07 / 2026 (दिनांक 31.01.2026 से दिनांक 08.07.2026 तक) का बिल रू0 4272.00 का बना दिया गया है। परिवादिनी द्वारा ई–मेल के माध्यम से इस मंच के समक्ष अपनी शिकायत का समाधान होने की पुष्टि की गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र गयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य